

12.1.2021

- पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व
वादी स्वयं अनुपस्थित। इन्हें कावाज डिमांड
गई। बाद-बाद कावाज डिलीगे पर भी कोर्ट
हाजिर नहीं है। किल: बाद-वादी किडन हजरी
किडन परकी में खारिज किया जाता है। किसका
फैसल शुमार होकर दाखिल इफ्तार हो। नम्बर
से कम बी जाके निर्णय शुले न्यायालय
सुनाया जाया।

सहायक कलक्टर
एंड सदन अपरग्रण्ड अधिकारी
डेगान्त (नागौर)

